2022 का विधेयक संख्यांक 96.

[दि वेपेंस आफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स (प्रोहिबिशन आफ अनलाफुल एक्टिविटीज) अमेंडमेंट बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022

सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005

का और संशोधन

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

नई धारा 12क का अंतःस्थापन ।

2005 का 21

2. सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वित्तपोषण पर प्रतिषेध ।

"12क. (1) कोई व्यक्ति ऐसे किसी क्रियाकलाप का वित्तपोषण नहीं करेगा जो इस अधिनियम के अधीन या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में जारी किए गए किसी आदेश के द्वारा प्रतिषिद्ध है ।

1947 का 43

(2) किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्रियाकलाप के वित्तपोषण का निवारण करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में जारी किए गए किसी आदेश के द्वारा प्रतिषिद्ध है, केन्द्रीय सरकार को—

1947 का 43

(क) ऐसी निधियों या अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों—

(i) जो ऐसे व्यक्ति के पूर्णतया या संयुक्ततः प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में हैं ; या

(ii) जिन्हे ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके निमित्त या उसके निदेश पर धारित किया गया है ; या

(iii) जिन्हे ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रित निधियों या अन्य आस्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्भूत या सृजित किया गया है,

पर रोक लगाने, अभिग्रहण करने या कुर्क करने ;

(ख) किसी क्रियाकलाप, जो इस अधिनियम के अधीन या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में जारी किए गए किसी आदेश के द्वारा प्रतिषिद्ध है, के संबंध में व्यक्तियों के फायदे के लिए निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या उपलब्ध संबंधित सेवाओं को प्रतिषिद्ध करने,

1947 का 43

की शक्ति होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग, किसी प्राधिकारी के माध्यम से करेगी जिसे धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति सौंपी गई है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम के अंतर्गत जैविक, रासायनिक और नाभिकीय आयुधों से संबंधित विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप और उनकी परिदान प्रणालियां आती हैं तथा वह सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणालियों से संबंधित सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करने और उनका राज्य से इतर या आतंकवादियों को अंतरण का निवारण करने के लिए एकीकृत विधिक उपाय करने का उपबंध करता है ।

3. हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के प्रसार से संबंधित विनियमों का विस्तार किया गया है, इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की लक्ष्यित वित्तीय शास्तियां और फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स की सिफ़ारिशों को सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के प्रसार के विरुद्ध अधिदेशित किया गया है ।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के प्रसार को वित्तपोषित करने के विरुद्ध उपबंध किया जा सके जिससे हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा कर सकें ।

5. सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन, विधेयक 2022, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए है—

(क) सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में किसी भी क्रियाकलाप के वित्तपोषण का प्रतिषेध ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को—

(i) ऐसे वित्तपोषण के निवारण करने के लिए निधियों या अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक, अभिग्रहण या कुर्की ;

(ii) सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में किसी प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप के संबंध में निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों को उपलब्ध कराने का प्रतिषेध करने के लिए,

सशक्त करना ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
31 मार्च, 2022

डॉ. एस. जयशंकर